

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर

आदेश


क्रमांक **C/4306** / चार-12-5 / 23

जबलपुर, दिनांक **30** / 05 / 2024

रजिस्ट्री आदेश क्र. 148/गोपनीय/2024, दिनांक 23.02.2024 द्वारा श्री अरुण कुमार सिंह(जूनियर), उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी को स्थायीकरण संबंधी प्रमाण पत्र जारी किये जाने एवं रजिस्ट्री आदेश क्र. 455, दिनांक 13.04.2024 द्वारा जिला न्यायाधीश, चयनग्रेड वेतनमान (Selection Grade) रूपये 163030-219090/- में नियुक्त होने तथा मध्यप्रदेश शासन विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के पत्र क्र. 2446/21-ब(एक), दि० 15.04.2019 के आलोक में वेतन निर्धारण निम्न तालिका अनुसार किया जाता है:-

उच्च न्यायिक सेवा में नियुक्ति के पूर्व प्राप्त वेतन व दिनांक (वे.मान.रू. 122700 - 180200) (जे-4)	उच्च न्यायिक सेवा के एण्ट्री वेतनमान रू. 144840-194660 (जे-5) में नियुक्ति का दिनांक	वेतनवृद्धि का दिनांक	एण्ट्री वेतनमान रू. 144840-194660 /- (जे-5) निर्धारित वेतन	देय दिनांक
1.	2.	3.	4.	5.
142240/- 25.07.2017	30.12.2017	-	144840/-	30.12.2017
		30.12.2018	149190/-	01.12.2018
		30.12.2019	153670/-	01.12.2019
		30.12.2020	158280/-	01.12.2020
		30.12.2021	163030/-	01.12.2021
		30.12.2022	167920/-	01.12.2022
		रजिस्ट्री आदेश क्र. 455 दि. 13.04.2024 द्वारा चयनग्रेड वेतनमान रूपये 163030-219090 /- (जे-6) में दिनांक 30.12.2022 से नियुक्त।		
		30.12.2022	172960/-	30.12.2022
		30.12.2023	178150/-	01.12.2023
		(आगामी वेतनवृद्धि का दिनांक 30.12.2024)		

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,


 (आर०के० शर्मा)
 रजिस्ट्रार(एम)


पृष्ठांकन क्रमांक **C/4307** / चार-12-5 / 23
प्रतिलिपि:-

जबलपुर, दिनांक **30** / 05 / 2024

1. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. सहायक सेवा पुस्तिका(राजपत्रित), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

3. रीडर टू ओ.एस.डी(लेखा), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. श्री अरूण कुमार सिंह(जूनियर), जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, जबलपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

नोट:—रजिस्ट्री पृष्ठांकन क्रमांक Reg (IT) (SA)/2021/953 दिनांक 12.07.2021 के द्वारा आदेशों की प्रिंटिंग, फोटोकापी एवं सायक्लोस्टाइल किया जाना बंद कर दिया गया है। अतः उक्त आदेश के तारतम्य में समस्त संबंधितों को सूचित किया जाता है कि वे आदेश की प्रति डाउनलोड करें व तदनुसार आवश्यक कार्यवाही का पालन करें।


रजिस्ट्रार(एम)
५